

6-उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के 'निदेशक मण्डल' ने दिनांक 27.07.2015 को सम्पन्न अपनी चव्वालीसवीं(11) बैठक में शासन के उपसंदर्भित कार्यालय ज्ञाप सं0-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03.12.2012 तथा आदेश सं0-सा-3-227/दस-2014-308/97 दिनांक 01.07.2014 में निहित व्यवस्था को आवश्यक संशोधनों सहित लागू करने हेतु अंगीकार करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के वर्ग-(11) से आच्छादित आश्रितों को निर्धारित शर्तें पूरी होने की दशा में शासनादेश सं0-सा-3-1508/10-2008-308/97 दिनांक 08.12.2008 में वर्णित संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 03.12.2012 से देय होगा।

भवदीय,

*20/8/15*

(अशोक कुमार गुप्ता)  
कार्यकारी अपर सचिव (पारेषण)

संख्या : 1956(1)-पारे0अनु0-16/पाट्राकालि-2015-76/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/उप मुख्यलेखाधिकारी, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9.  इ0 पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

*20/8/15*

(अशोक कुमार गुप्ता)  
कार्यकारी अपर सचिव (पारेषण)

*20/8/15*